राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–2175/2012/अलवर

मैसर्स छाबड़ा ट्रेडिंग कम्पनी,
वीर चौक, अलवर .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, घट–तृतीय, भिवाड़ी ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज,अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल
अधिकृत अभिभाषक ..अपीलार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक .प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 20.04.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 116/आरवेट/2011–12/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 13.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–तृतीय, भिवाडी (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित कर रू.31,500/– व शास्ति रू. 1,89,000/–कुल रू. 2,20,500/– की मांग सृजित की है। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध अपीलीय अशिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर पर, उन्होंने आरोपित शास्ति रू. 1,89,000/– में रू.57,000/–को घटाकर रू. 1,32,000/– रखते हुए आरोपित कर रू. 31,300/– को अपास्त कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 04.10.2011 को वाहन संख्या आरजे–29–जीए–0040 को रामगढ़ में चैक किया गया। वाहन में लदे माल के संबंध में दस्तावेज मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा बिल्टी, चालान, कम्प्यूटराइज्ड बिल व वैट–47 पेश किये गये। उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया कि वैट–47 अपूर्ण होने, वैट इनवाइस नं. गलत लिखा होने, घोषित माल से अधिक माल पाये जाने के कारण करापवंचन के सन्देह के आधार पर अधिनियम की धारा 76(5)(ए) के तहत वाहन को निरुद्ध किया गया। माल का भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन किये जाने पर 80 बोरी सुपारी (भरती 60 किलोग्राम प्रति बोरी) अघोषित बिना किसी दस्तावेजी सबूत के तथा 60 बोरी सुपारी(भरती 75किलोग्राम प्रति बोरी) अपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर परिवहनित किया जाना पाया गया। उक्त तथ्य पाये जाने पर अधिनियम की धारा

76(2)(बी) एवं नियम–53 के प्रावधानों का उल्लंघन होने के अधिनियम की धारा 76(6) के तहत अभियोग प्रस्तावित करते हुये, पत्रावली सशक्त अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। सशक्त अधिकारी द्वारा दस्तावजों के अवलोकन किये जाने पर वैट–47 के पार्ट–ए में कॉलम संख्या–3 पूर्णतया रिक्त, पार्ट–बी में कॉलम संख्या 1 में इनवॉयस नं0 व ओवर राइटिंग तथा माल की कीमत व पार्ट सी का कॉलम संख्या 1 से 3 पूर्णतया रिक्त एवं घोषणा पत्र वेट–47 निर्धारित स्थान पर पंच नही किया गया आदि कमियां पाई गई। सशक्त अधिकारी द्वारा अपूर्ण घोषणा प्रपत्र से माल का परिवहन किये जाने पर अधिनियम की धारा 76(2) सपठित नियम–53 का उल्लंघन किये जाने के कारण नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में व्यवसायी के अ0प्र0 द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर वैट–47 नं. 7704975 (दोहरी प्रति) पेश की। सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त जवाब एवं घोषणा प्रपत्र से अंसतुष्ट होकर माल कीमतन रुपये 6,30,000/– पर कर रुपये 31,500/– व शास्ति रुपये 1,89,000/– का आरोपण किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश किये जाने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गयी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. अपीलाथी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि क्रेता व विक्रेता दोनों पंजीकृत व्यवहारी है। बिल में नियमानुसार 2 प्रतिशत सीएसटी चार्ज किया हुआ है। संलग्न घोषणा पत्र वैट–47 के पार्ट–ए के कॉलम–3 में इन्वाइस नं. अंकित है, जिसमें माल की कीमत अंकित थी। पार्ट–सी के कॉलम संख्या 01 से 03 तक की पूर्ति से संबंधित ट्रांसपोर्ट द्वारा की जानी थी, जिसके खाली रह जाने के पीछे व्यवहारी का कोई दोष नहीं था। सशक्त अधिकारी के समक्ष नोटिस की पालना में जवाब के साथ घोषणा पत्र वैट–47 7704975 (दोहरी प्रति में) पूर्ण भरा हुआ पेश कर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स डी.पी.मैटल्स के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार करते हुये कर व शास्ति को अपास्त करने का निवेदन किया है। उनका कथन है कि सशक्त अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वैट–47 नं0 7704975 (दोहरी प्रति) को स्वीकार नहीं किया जाकर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वा.क.अ. व अन्य के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी व्यवहारी पर कर व अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है, वह विधिसम्मत नहीं है। उनका कथन है कि सशक्त अधिकारी द्वारा बढाई गई कीमत में कोई उल्लेख नहीं किया है साथ ही उन्होनें कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा 4500 कि.ग्रा. की माल की कीमत 95/– प्रति कि.ग्रा के स्थान रू. 140/–के हिसाब से रू. 6,30,000/–मानते

हुये किस आधार पर कीमत बढ़ाई जाकर शास्ति का आरोपण किया है ? इसका तर्कसंगत कारण भी भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में अंकित नहीं किया गया है। उनका कथन है कि सशक्त अधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से व संदेह के आधार पर धारा 76(6) के तहत आरोपित कर व शास्ति अविधिक होने से अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति की सीमा तक पारित आदेश विधिसम्मत है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवहनित माल के साथ वैट–47–7704974 के पार्ट–ए में कॉलम संख्या–3, पार्ट–सी में कॉलम संख्या 1 से 3 पूर्णतया रिक्त, पार्ट बी में कॉलम 1 में ओवरराइटिंग पाये जाने से सशक्त अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपठित नियम–53 का उल्लंघन मानते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मै0 गुलजग इण्ड. बनाम वा.क.अ. व अन्य के प्रकरण में सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में व्यवहारी के विरुद्ध आदेश 76(6) के शास्ति आरोपित की गई। क्रेता व विक्रेता दोनों पंजीकृत व्यवसायी है एवं उनके द्वारा नियमानुसार 2 प्रतिशत सीएसटी चार्ज किया हुआ है। घोषणा पत्र वैट–47 7704974 के पार्ट–ऐी के कालम्स नं0 3 में इनवांयस नं. अंकित था जिसमें माल की कीमत मौजूद थी उक्त घोषणा पत्र के पार्ट–सी के कालम्स नं0 1 से 3 की पूर्ति संबंधित ट्रांसपोर्टर द्वारा की द्वारा की जानी थी। इसके खाली रह जाने के पीछे व्यवहारी को कोई दोषी मनोभाव नही था। माल का परिवहन राज्य के बाहर से किया जा रहा था। प्रकरण में मैसर्स डी. पी.मैटल्स के तथ्यों से मेल नहीं खाता है। सशक्त अधिकारी द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना जो करारोपण किया वह न्यायोचित नहीं है।

6.. प्रस्तुत प्रकरण में जहां तक कीमत बढाने का प्रश्न है पत्रावली के अध्ययन के पश्चात तथ्यो से ज्ञात होता है कि कम्प्यूटराईज्ड बिल संख्या 0031 दिनांक 03.10. 2011, जो पत्रावली के पेज 11 पर उपलब्ध है उसमें माल का मूल्य 95/– प्रति कि. ग्रा. अंकित है जबकि सशक्त अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तैयार की गई वह पत्रावली के पेज 6 पर उपलब्ध है, में सशक्त अधिकारी ने माल के मूल्य का भाव रू. 95/–प्रति कि.ग्रा के स्थान रू.140/–प्रति कि.ग्रा. माल का मूल्यांकन किया गया है, जिसका शास्ति आदेश दिनांक 14.10.2011 में कोई आधार नहीं दिया गया है और ना ही बढाई गई कीमत का उल्लेख नोटिस में किया गया है। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा

बिना किसी ठोस आधार के परिवहनित माल के बिल में अंकित मूल्य बढाये जाने को विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विद्वान अपीलीय अधिकारी ने बिल में अंकित माल की कीमत रू. 95/–प्रति कि.ग्रा. से हिसाब से रू. 4,38,000/–मानते हुए उस पर 30 प्रतिशत की दर से अधिनियम की 76(6) के अन्तर्गत रू. 1,31,400/–शास्ति को उचित माना है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का विवेचन करने के पश्चात अपीलार्थी व्यवहारी को पर्याप्त अनुतोष प्रदान कर दिया है।

7. अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों का समग्र रूप से विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.08.2012 पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है । फलतः अपीलाधीन आदेश की पुष्टि करते हए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष